सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/104 दायर दिनांक 15.09.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. किसनाराम पुत्र वालुराम जाति जाट निवासी बालिया।	बनाम्	1. हनुमानराम पुत्र बालूराम 2. बुधाराम पुत्र हनूमानराम 3. भंवरराम पुत्र हनुमानराम 4. चैनाराम पुत्र हनुमानराम 5. हीराराम पुत्र रामकरण 6. जेठी बेवा हनुमानराम 7. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम 8. रामूराम पुत्र नारायणराम 9. डालूराम पुत्र नारायणराम 10. बोदुराम पुत्र नारायणराम 11. पांचूराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी बालिया। 12. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **23.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि,उपरोक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 20.4.2001 को हो चुका है। कि उक्त निर्णय के अनुसार वादी व प्रतिवादी के बीच पटवारी की मौका रिंर्पोट () के अनुसार निर्णय किया गया था मगर उक्त निर्णय मे लिपिक ये भुल से ख न. 395 को बुधाराम भंवराराम चेनाराम पिसरान हुमानाराम हीराराम बनाम रामकरण जेठी देवी पत्नि स्वं रामकरण के हिस्से मे दज (बन्ट) हो गया और ख.न. 1026/395 कुम्भराम रामूराम बालाराम पूर्णाराम पाचूराम पिसराम नारायणराम के हिस्से मे दर्ज (बन्ट) हो गया जबकि पटवारी की रिर्पोट व वादी की प्रार्थना के अनुसार व उक्त खसरे के कब्जा काश्त के अनुसार ख.न. 395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा पर कुम्भाराम रामूराम बालाराम पूर्णाराम पांचूराम पिसराम नारायणराम काबिज है। तथा इसी अनुसार खेत ख.न. 1026/395 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा पर बुधाराम भंवराराम चेनाराम पिसराम हनुमानाराम हीराराम पुत्र रामकरण व जेठी देवी पत्नि रामकरण काबिज है। इसलिए निर्णय दिनांक 20.4.2001 मे उपरोक्त अनुसार लाल स्याही से नोट लगा कर उक्त लिपिक ये भूल को दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। उपरोक्त निर्णय व डिकी की पालना की जा चुकी है। वादी अनपढ व भोला भाला है। अत. दर पेश कर निवेदन हैकि मौजा बालिया के खेत ख.न. 1026/395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा का रकबा बुधाराम भंवराराम चेनाराम पिसराम हुमानाराम हीराराम पुत्र रामकरण जेठी देवी पत्नि रामकरण के बन्ट व कब्जा मे व ख.न. 395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुम्भाराम रामुराम बालाराम पूर्णाराम पांचूराम पिसराम नारायणराम के बन्ट व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2016 / 104
दायर दिनांक 15.09.2016, निणर्य दिनांक 23.06.2017
किसनाराम बनाम हनुमानराम

कब्जा मे दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा मे भी दुरूस्ती हेतु उपरोक्त निर्णय व डिक्री पर्चा मे लाल स्याही से अकिंत किया जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकरान संशोधन अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित निर्णय जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.04.2001 में संशोधित निर्णय व डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके सरहद बालिया के खसरा सं0 1026 / 395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी बुधाराम, भंवराराम, चेनाराम पिसरान हनुमानराम, हीराराम पुत्र रामकरण, जेठी देवी पत्नी रामकरण के बंट व हिस्से में तथा खसरा सं0 395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी कुम्भाराम, रामूराम, बालाराम, पूर्णाराम, पांचुराम पिसरान नारायणराम बंट व कब्जा काश्त में घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। संशोधित डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **23.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बालिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाइ
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक 15.09.2016

राजस्व वाद संख्याः 2016/104

वादी		प्रतिवादीगण
1. किसनाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बालिया।	बनाम्	1. हनुमानराम पुत्र बालूराम 2. बुधाराम पुत्र हनूमानराम 3. भंवराराम पुत्र हनुमानराम 4. चैनाराम पुत्र हनुमानराम 5. हीराराम पुत्र रामकरण 6. जेठी बेवा हनुमानराम 7. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम 8. रामूराम पुत्र नारायणराम 9. डालूराम पुत्र नारायणराम 10. बोदुराम पुत्र नारायणराम 11. पांचूराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी बालिया। 12. तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

दिनांक 23.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके सरहद बालिया के खसरा सं0 1026/395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी बुधाराम, भंवराराम, चेनाराम पिसरान हनुमानराम, हीराराम पुत्र रामकरण, जेठी देवी पत्नी रामकरण के बंट व हिस्से में तथा खसरा सं0 395 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी कुम्भाराम, रामूराम, बालाराम, पूर्णाराम, पांचुराम पिसरान नारायणराम बंट व कब्जा काश्त में घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट बालिया में संशोधित डिक्री जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner